

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक— १६०२ / ४६० / आउशि / शा-५'अ' / २०२२,

भोपाल, दिनांक ०१ / ०२ / २०२२

प्रति,

१. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।
२. प्राचार्य,
समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय— विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के संकाय के लिए सामुदायिक व्यस्तता के लिये सुविधा और संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए मार्गदर्शन पर पाँच दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन के संबंध में।

संदर्भ— संकाय विकास केंद्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश जनवरी, 2022.

—०—

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामुदायिक व्यस्तता के लिये सुविधा और संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए मार्गदर्शन पर पाँच दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम के संबंध में संकाय विकास केंद्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश जनवरी, 2022 व कार्यक्रम समय—सारणी संलग्न प्रेषित है।

अतः कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय एवं प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय, मध्यप्रदेश संकाय के लिए सामुदायिक व्यस्तता के लिये सुविधा और संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए मार्गदर्शन पर पाँच दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम में प्राध्यापकों / छात्र—छात्राओं की सहभागिता हेतु निर्देशित करेंगे।

संलग्न—उपरोक्तानुसार,

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

०१/०२/२२
(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक १६०२ / ४६० / आउशि / शा-५'अ' / २०२२,

भोपाल, दिनांक ०१ / ०२ / २०२२

प्रतिलिपि :

१. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल मध्यप्रदेश।
२. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
३. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
४. अध्यक्ष, संकाय विकास केंद्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, भारत रत्न नानाजी देशमुख भवन, जे.एन.वी. कैम्पस, हैदराबाद विश्वविद्यालय, नालगंदला, हैदराबाद।
५. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रति, समस्त प्राचार्य (विभागाधीक) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
नं. १६०२ / ४६० / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
मंत्रालय, अध्ययनराज्य / संस्थान की ओर—नं. १६०२ / ४६० / विभागीय
प्रॉटोकॉल
०१/०२/२०२२
Proctor ०१/०२/२०२२

संस्थागत नेताओं को सलाह देना

• समृद्ध प्रक्रियाओं की सुविधा

• गांम तल्लीनता के तरीके और तकनीक

• सहभागी शिक्षण और कार्य

• प्रमुख रणनीतियाँ और रणनीतिक नेतृत्व

• केस चर्चा के तरीके

• गोल न्ले और टीम बिल्डिंग नेतृत्व किंग

• अकादमिक नेताओं के लिए परामर्श और सुविधा कोशल

• सीखने के लिए समृद्ध और व्यक्तिगत अङ्गास

• फील्ड लर्निंग के लिए असाइनमेंट


• उन्नत भारत अभियान और अकादमिक नेतृत्व

• अकादमिक नेतृत्व में अनुभवात्मक शिक्षा

• उत्कृष्टता के लिए परिवर्तन लान् करना

• विकासशील संगठन आकाशा

• उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दूरदर्शी नेतृत्व



पंजीकरण:

• प्रबाण पत्र जरी करने के लिए सभी 5 दिनों में उपस्थिति

और सभी सजों के सीधे कार्यों को जमा करना अवश्यिक है।

• सब मुबह 10.00 बजे शुरू होगा और शाम 4.00 बजे

समाप्त होगा।

• प्रतिशानियों से अनुरोध है कि ते हर दिन समन्वयक के निर्देशों का पालन करें और समय पर असाइनमेंट पूरा करें।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

• अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1 और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।



संकाय विकास
केंद्र

Government of India

महात्मा गांधी राष्ट्रीय यांत्रोण शिक्षा उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय,
आरत सरकार

अनुभवात्मक शिक्षा, कार्य 1
और समुदायिक व्यस्तता प्रयोग के लिए अवश्यिक है।

योनेस्को चैयर,



प्राचीन विद्यालयों, कालेजों और उच्चतर शिक्षणिक संस्थानों के लिए

सामुदायिक व्यस्तता के लिए सुविधा और योनेस्को चैयर,

सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए मार्गदर्शन

पर

पांच दिवसीय संकाय विकास व्यायोग का आयोजन

अधी पंजीकरण



संकाय के लिए संस्थागत नेता बनने के लिए प्रत्यक्ष को कार्यप्रणाली, उपकार्यकालीन विकास विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार

गोपनीय रत्न नानाजी देशमुख अध्यक्ष

मंत्री, भौतिक एवं विद्युत विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार

प्रधानमंत्री, भौतिक एवं विद्युत विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार



सम्बन्धिक व्यक्तिरिक्त लिए गये और सांश्लेषणिक उत्तराधिकार

के लिए सामग्री का पर मंकाय विकारा का अधिकार

संकाय विकास केंद्र

ज्ञानरमा गाधि राष्ट्रीय यामीण शिक्षा परिषद